दिनांक–15.03.17 को मध्याह्न 12:00 बजे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सबके लिए आवास (शहरी) HFA योजना के अधीन गठित राज्यस्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (SLSMC) की सम्पन्न छठी बैठक की कार्यवाही :–

1. सबके लिए आवास (शहरी) योजना राज्य के सभी 140 नगर निकायों में लागू है।

2. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत अब तक 140 नगर निकायों में 51690 लाभुकों के गृह निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

3. योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक में 31 नगर निकायों से फेज–2 का DPR प्राप्त हुआ है, जिसमें 25221 लाभुकों के गृह निर्माण का प्रस्ताव है। इन 31 नगर निकायों से प्राप्त DPR का State Level Appraisal Committee (SLAC) से स्वीकृति प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति SLSMC से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार प्रस्ताव पर विमर्शोपरांत SLSMC द्वारा निम्नवत स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(i) लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 31 नगर निकायों से फेज–2 में प्राप्त सभी DPR जिसमें 25221 लाभुकों की गृह निर्माण की योजना है (निकायवार विवरणी संलग्न, अनु0–1), जिसमें 37831.50 लाख रूपये केन्द्रांश एवं 12610.50 लाख रू0 राज्यांश का व्यय होगा एवं जिसका कार्यान्वयन लाभान्वितों द्वारा स्वयं किया जाएगा, के प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है।

(अनु0–1)

(ii) लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 31 नगर निकायों के फेज–2 का DPR जो SLAC द्वारा स्वीकृत (Appraised) है, की स्वीकृति दी जाती है। **(अनु0–2)**

योजना के अंतर्गत बनाये जाने वाले घरों में 2 बेडरूम, टॉयलेट, किचेन अनिवार्य होंगे। मकान का क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। संदर्भ के लिए विकसित मॉडल का उपयोग किया जाएगा। लाभार्थी इससे बड़ी आकार एवं भिन्न डिजाईन का घर भी बना सकते है। लाभुकों को इसके लिए 1.50 लाख रू0 केन्द्रांश एवं 50.00 हजार रू0 राज्यांश की सहायता राशि होगी। शेष राशि का वहन लाभुक द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त दो प्रस्ताव को SLSMC द्वारा अनुमोदित करते हुए भारत सरकार MoHUPA की स्वीकृति हेतु भेजने की अनुशंसा की गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

15/3/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांक–04/HFA-08/2015 701 दिनांक– 15/3/17

प्रतिलिपि:–सभी संबंधित SLSMC के सदस्यों/पदाधिकारियों/संयुक्त सचिव/उप सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक–15.03.2017 को मध्याह्न 12:00 बजे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सबके लिए आवास योजना (**HFA**) के अधीन गठित राज्यस्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (**SLSMC**) की आहूत बैठक की उपस्थिति :–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1			
2	रवि मित्तल	प्र F वित्त	[illegible]
3	चैतन्य प्रसाद	प्र० स०, न० वि० एवं आ० वि०	[illegible] 15/3/2017
4	नरेन्द्र कुमार सिंह	अपर सचिव, [illegible]	[illegible] 15/3/17
5	राजीव कुमार दास	उप म0 प्र0, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति	[illegible]
6	प्रवीण कुमार झा	वि० [illegible], [illegible]	[illegible] 15/3
7	एल० पी० सिंह	अपर सचिव, प० एवं व० विभाग	[illegible] 15/3/17
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			